

31/05/22

पत्रावली पैरा 1 हुई। वादिनी ने जरिये 'वकील' श्री जीवराज कुमार इस आदेश का पार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि गुरमीत कौर बनाम किंगोन्द्र सिंह आदि दावा संख्या 45/2021 श्रीमान् जी के यहां अंशकार है। जिसे आज दिनांक 20/05/2022 नियत है। शोधिनी स्वयं जरिये वकील उपास्थित होकर दावा विद्रां करवाना चाहती है।

अतः शोधिनी/वादिनी व प्रतिवादीगण के बीच अमर्जता हो गया है। अतः शोधिनी द्वारा पत्र दावा विद्रां करवाना चाहती है एवं इस दावा जरिये विद्रां स्वारिज किया जावे आदि-आदि।

इसने वादिनी द्वारा प्रस्तुत पार्थना पत्र का अवलोकन किया। वादिनी वाद को आगे नहीं चलाना चाहती है, अतः वाद वादिनी जरिये विद्रां स्वारिज किया जाता है।

वाद पत्रावली फैसल शुमार होकर हस्त जाता दारिखत दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31/05/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर